


16/8/23

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब... ~~शिवगंज पत्रावली~~
अतः पत्रावली इलतमा होकर आयन्दा
दिनांक 18/8/23 को पेश हो।

शिवगंज

18/8/23

पत्रावली पेश इती इम्ल पत्रावली से संबंधित
मूल कृषील पत्रावली 90 नं. 02/2023 खारीज
हो चुकी है। अतः पत्रावली के जारी कम्पार्ट
निषेधाणा समाप्त की जाऊ मूल कृषील
पत्रावली खारीज होने से इम्ल पत्रावली
खानः ही खारीज हो गई है। पत्रावली
के मूल शुफाल एकेट नं. से पत्रावली


उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

